न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
16.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की सम्यक् तामिल रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार खर्रा एड0 ने [illegible] होकर वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया [illegible] वकील वादी ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा [illegible] किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री धमेन्द्र कुमार [illegible] की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पहचान श्री अनिल कुमार खर्रा एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश [illegible] किये जाने से अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने [illegible] पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 11:31:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
154 / 2023	2023 / 265	05.09.2023	16.01.2024

उनवान प्रकरण

1. भोला पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर आयु 74 साल निवासी ढाणी बणी की तन ग्राम देवीपुरा हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

––वादी––

बनाम

1. जवाना आयु 62 साल
2. फूला आयु 77 साल
3. माला आयु 60 साल
4. बोदूराम आयु 90 साल

पुत्रगण गंगाराम

जाति गुर्जर निवासी ढाणी बणी की तना ग्राम देवीपुरा हाथी देह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर एड0 वादी अभिभाषक।

श्री अनिल कुमार खर्रा एड0, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 11:31:42 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

16/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.0900 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1350, 1351, 1352 कुल किता 8 कुल रकबा 3.400 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से है। सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से होकर आपस में सगे भाई है एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आय से शामलाती में खरीद की गयी भूमियां होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक–मौरूसी कृषि भूमियां है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है, इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पांचो भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी की हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु दिनांक 10.08.2023 को इन्कार हो गये है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा अनुतोष इस प्रकार चाहा गया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.0900 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 बोदूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1350, 1351, 1352 कुल किता 8 कुल रकबा 3.400 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें एवं संबधित पक्षकार का बैंक का रहन संबंधित पक्षकार के हक हिस्सा पर ही दुरूस्त किया जावें, उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक / साधारण तरीके से सम्मन जारी कर तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की सम्यक तामिल होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 11:31:42 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पहचान श्री अनिल कुमार खर्रा एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश हो जाने व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने पर वकुलाय उभय पक्षकारान के ने वादपत्र में बहस आज ही सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 दो जमाबन्दी, पक्षकारान का राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम हिस्से अनसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। वकील वादी व पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.0900 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 बोदूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1350, 1351, 1352 कुल किता 8 कुल रकबा 3.400 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर एवं संबधित पक्षकार का बैंक का रहन संबंधित पक्षकार के हक हिस्सा पर ही दुरूस्त किया जाकर, उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जाकर मुताबिक राजीनामा वादपत्र वादीगण स्वीकार किये जाने वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः वादीगण का वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर (फा...) श्रीमाधोपुर

––::क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.0900 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के स्थान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 बोदूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1350, 1351, 1352 कुल किता 8 कुल रकबा 3.400 हैक्टर तन ग्राम देवीपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 11:31:42 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मुतफरिक

बाबत इजराय हुक्मनामा

पटवार हल्का हाथीदेह भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर एवं संबधित पक्षकार का बैंक का रहन संबंधित पक्षकार के हक हिस्सा पर ही दुरूस्त किया जाकर, उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Rathore 16/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Rathore 16/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 11:31:42 IST
Reason: SelfAttested